<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16/2021 **दायर दिनांकः 01.02.2021**

उनवान

1. बंशीलाल पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड निवासी मेरमाचाह तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट</u>

<u>एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाकः 28/04/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल पतल्या तहसील अटरू जिला बारां के खाता संख्या 48 की ख0नं0 235/39 की 0.10 है0, ख0नं0 40 की 0.87 है0, कुल 2 किता की 0.97 है0 भूमि वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि बंशीलाल पुत्र बजरंगलाल के खाते दर्ज थी लेकिन दोराने बन्दोबस्त वादी के पिता का नाम बदलकर बंशीलाल पुत्र बजरंगलाल के बजाय बंशीलाल पुत्र बद्रीलाल दर्ज कर दिया जबकि वादी के ग्राम एवं माल पिपलोद तह0 अटरू में स्थित खाता सं0 131 की भूमि बंशी पुत्र बजरंगलाल के नाम से दर्ज खाता चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहा है न ही विकास का कार्य करवा पा रहा है। वादी को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी के आधार कार्ड एवं परिवार राशन कार्ड में पिता का नाम बजरंगलाल होने से व पिपलोद के म[illegible] भूमि में पिता का नाम बजरंगलाल होने से वादी ने दिनांक 22.01.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:21:02 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उनने श्रीमान के यहां वाद पेश करने की हिदायत दी। बिना सहायता न्यायालय वादी अपने पिता के नाम को दुरूस्त करवाने में असमर्थ है। वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में अपने पिता का नाम बद्रीलाल के स्थान पर बजरंगलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाकर दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी को दिनांक 22.01.2021 को ही वाद कारण उत्पन्न हुआ। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम एवं माल पतल्या तह0 अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनया गया हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा प्रस्तुत है।

अतः निम्न आशय की डिक्री बहक विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम एवं माल पतल्या तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 48 की ख0नं0 235/39 की 0.10 है0, ख0नं0 40 की 0.87 है0, कुल 2 किता की 0.97 है0 भूमि में वादी का नाम बंशीलाल पुत्र बद्रीलाल के बजाय बंशीलाल पुत्र बजरंगलाल की घोषणा की जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 का शपथ पत्र पेश किया तथा फर्द दस्तावेज के साथ रिकार्ड पेश गया। और साक्ष्यवादी पेश न करने के कारण शेष साक्ष्यवादी बन्द किये जाते है।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि ग्राम पतल्या की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:21:02 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 48 किता 2 रकबा 0.97 है0 भूमि में वादी के पिता बद्रीलाल के स्थान पर बजरंग लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अभिभाषक वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी ग्राम मेरमाचाह की खाता संख्या 48 किता 2 रकबा 0.97 है0 भूमि में बंशीलाल पुत्र बद्रीलाल का नाम अंकित है, तथा ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 131 किता 1 रकबा 0.97 है0 मे सहखातेदार बंशी पुत्र बजरंग लाल दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड में बंशीलाल पुत्र बजरंग लाल व ग्राम पंचायत मेरमाचाह का प्रमाण पत्र दिनांक 03.04.2021 अनुसार बंशीलाल पुत्र बजरंग लाल धाकड़ व बंशीलाल पुत्र बद्रीलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम है।

अतः साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम पतल्या की खाता संख्या 48 की कुल 2 किता रकबा 0.97 है0 में खातेदार बंशीलाल पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर बंशीलाल पुत्र बद्रीलाल उर्फ बजरंग लाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:21:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 16/2021

उनवान

1. बंशीलाल पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड निवासी मेरमाचाह तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट
एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक भगवान स्वरूप मंगल।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित भूमि ग्राम पतल्या की खाता संख्या 48 की कुल 2 किता रकबा 0.97 है0 में खातेदार बंशीलाल पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर बंशीलाल पुत्र बद्रीलाल उर्फ बजरंग लाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.04.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	[illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनामा	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:21:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)